संख्या – 1/सा.सु. IGNOAPS-25/2007 स.क.- 542
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक – 26/3/08

विषयः–गरीबी रेखा से नीचे के सभी 65 वर्ष या उससे ऊपर के वृद्ध को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक – 1219 दिनांक 31.10.2007।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि आपको हस्तगत कराई जा चुकी है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनधारी की पात्रता में वार्षिक आय देहाती क्षेत्र में रू0 5,000/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 5,500/– पूर्व से निर्धारित था जिसमें संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के 65 वर्ष या उससे ऊपर के सभी वृद्ध को पेंशन देने का निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त निदेश के आलोक में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यान्वयन दिनांक 19.11.2007 को हो चुका है। इस योजना में मुख्य तथ्य निम्नप्रकार है :–

1. **लाभार्थी की पात्रता** :– भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवार के 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष या महिला वृद्ध इस योजना के अन्तर्गत आवेदक होंगे।
2. **पेंशन की राशि** :– इस योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी प्रतिमाह रू0 200/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
3. **भुगतान का तरीका** :– जिस पंचायत के पेंशनधारी निवासी हो, उसी पंचायत के डाकघर में या यदि उस पंचायत में डाकघर नहीं हो, तो बगल के पंचायत के डाकघर में पेंशनधारी के नाम से खोले गये खाता में पेंशन की राशि जमा कर भुगतान किया जायेगा।
4. **लक्ष्य** :– गरीबी रेखा से नीचे के सभी 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध को पेंशन देने का लक्ष्य है। वर्त्तमान में संसूचित लक्ष्य मात्र इन्डीकेटीम है तथा भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए आंकलित लक्ष्य से अधिक है। सभी जिला पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि जिला के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के सभी 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध को पेंशन दे दिया गया है।

6. **पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदकों का पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होंगे।

6. **स्वीकृति प्रक्रिया** :– बी0पी0एल0 संख्या दर्ज करते हुए आवेदक अपना आवेदन पंचायत के मुखिया/पंचायत सेवक/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के कार्यालय में कही भी आवेदन दे सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यकतानुसार स्वयं या किसी पदाधिकारी से उम्र की जाँच करा सकते हैं तथा प्राप्त आवेदन के बी0पी0एल0 संख्या को सत्यापित करते हुए पेंशन स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के पास अग्रसारित करेंगे। शहरी क्षेत्र के नगर निकायों द्वारा उम्र की जाँच कर बी0पी0एल0 संख्या, सत्यापित करते हुए नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु आवेदन अग्रसारित करेंगे। अनुमंडल कार्यालय द्वारा बी0पी0एल0 संख्या जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित किया गया हो, से सत्यापित करने के पश्चात् पेंशन स्वीकृत्यादेश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7. **स्वीकृति की तिथि** :– इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारम्भ दिनांक 19.11.2007 से किया गया है। अतः स्वीकृति की तिथि दिनांक 19.11.2007 या उसके बाद अर्थात दिनांक 01.12.2007 या बी0पी0एल0 सूची के प्रकाशन के तिथि वाले माह या जिस माह में स्वीकृत किया जा रहा हो, उस माह के पहली तारीख से स्वीकृति की तिथि रखना श्रेयस्कर होगा।

8. **पूर्व से स्वीकृत पेंशनधारी** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत पेंशनधारी स्वभाविक रूप से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित माने जायेंगे।

9. **गरीबी रेखा का आधार** :– भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवार का पहचान किया जाता है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवार की प्रकाशित सूची को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति का आधार माना जायेगा।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक–1098 दिनांक–29.01.2008 द्वारा पुनरीक्षित पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के आधार पर आरोही क्रम में पंचायतवार कुल प्राप्तांक–13 तक बी0पी0एल0 सूची का प्रकाशन किया गया है तथा जिलावार 0 से 13 अंक प्राप्त करने वाले बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या सूचित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के सभी 65 वर्ष या उससे ऊपर के वृद्ध को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 1/सा.सु. IGNOAPS–25/2007 स.क.– 542 पटना, दिनांक :– 26/3/08
प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 1/सा.सु. IGNOAPS–25/2007 स.क.–542 पटना, दिनांक :– 26/3/08
प्रतिलिपि :– सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संशोधित पात्रता के शर्त्त के अनुरूप स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग, बिहार।

ज्ञा० 183 दि० 29/4/08

प्रतिलिपि- सभी अनु० पदाधिकारी। सभी प्र० वि० पदाधिकारी। सभी कार्य० पदाधिकारी स्थानीय निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। वे 13 अंक तक के 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आच्छादन योग्य व्यक्तियों की संख्या आकलित कर प्रतिवेदन वांछित प्रमाण पत्र के साथ शीघ्र जिला सा० सु० कोषांग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

29.4.2008
जिला पदाधिकारी
सारण

29/4/08

IGNOAPS/1-3